कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ. 14(300/12)2018/एफसीए/प्रमुवसं/ दिनांक

मुख्य वन संरक्षक,
भरतपुर।

विषयः– Diversion of 0.8746 ha. Of forest land in favour of Indian oil corporation limited (IOCL) for Construction of Approach road for Proposed Indian Oil corporation Limited Retail Outlet on Bharatpur Jaipur Road (NH-11) Between km Stone 85-86 (Chainage: 85+972.00-86+014.55) khs in khasra no 2994 at village- Aroda. Tehsil Nadbai District- Bharatpur, Rajasthan.
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/36241/2018)

सन्दर्भः–राज्य सरकार का पत्रांक प. 1(16)वन/2020 दिनांक 15.11.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार के पत्रांक प. 1(16)वन/2020 दिनांक 15.11.2021 (प्रति संलग्न) से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत Diversion of 0.8746 ha. Of forest land in favour of Indian oil corporation limited (IOCL) for Construction of Approach road for Proposed Indian Oil corporation Limited Retail Outlet on Bharatpur Jaipur Road (NH-11) Between km Stone 85-86 (Chainage: 85+972.00-86+014.55) khs in khasra no 2994 at village- Aroda. Tehsil Nadbai District- Bharatpur, Rajasthan हेतु 0.8746 हैक्टर वनभूमि प्रत्यावर्तन एवं शून्य वृक्षों के पातन की विधिवत् स्वीकृति जारी की गई हैं। अतः आलौच्य प्रकरण में समस्त शर्तो की पूर्ति की पालना सुनिश्चित करावें इसके उपरांत प्रकरण में संबंधित विभाग/संस्था को वनभूमि के उपयोग की अनुमति दे दी जावें।

1. राज्य सरकार के उक्त पत्र में अंकित समस्त शर्तों की कडाई से पालना की जावें।
2. मुख्य वन संरक्षक स्तर पर राज्य सरकार द्वारा अधिरोपित शर्तो की पालना का प्रबोधन निरंतर किया जावें।
3. मुख्य वन संरक्षक के क्षेत्र से संबंधित समस्त स्वीकृतियों का पृथक से एक रजिस्टर संधारित किया जावे।

संलग्नः–उक्तानुसार।

भवदीय,
ह0
(डॉ. गोबिन्द सागर भारद्वाज)
अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक
प्रोटेक्शन एंव नोडल अधिकारी एफसीए,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकः एफ. 14(300/12)2018/एफसीए/प्रमुवसं/ 3244-48 दिनांक 18.11.21

प्रतिलिपिः–निम्नांकित को राज्य सरकार के उक्त पत्र की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर कैम्प कार्यालय, केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर–एच, अलीगंज, लखनऊ–226024 (उ0प्र0)
2. शासन सचिव, वन विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्रांक प. 1(16)वन/2020 दिनांक 15.11.2021 के क्रम में।
3. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (आई.टी.) अरण्य भवन, जयपुर को राज्य सरकार, वन विभाग, जयपुर के आदेश दिनांक 15.11.2021 (प्रति संलग्न) को राज्य वन विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित हैं।
4. उप वन संरक्षक, नागौर को प्रेषित कर लेख है कि मण्डल से संबंधित समस्त प्राप्त स्वीकृतियों के सम्बन्ध में पृथक से एक रजिस्टर में सूचना संधारित की जावें।
5. वरिष्ठ प्रबंधक (खुदरा बिक्री) इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर मण्डल कार्यालय, प्रथम तल एलआईसी इन्वेस्टमेंट बिल्डिंग, फेज–II, अम्बेडकर सर्किल के पास, भवानी सिंह रोड, जयपुर–302005

ह0
(भवानी सिंह)
उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)
अरण्य भवन, जयपुर

Programmer Boar (IT)
22/11/2021

औषधि योजना

राजस्थान सरकार
वन विभाग

क्रमांकः प. 1 (16) वन/2020 जयपुर, दिनांक 15 NOV 2021

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF),
राजस्थान, जयपुर ।

विषयः—Diversion of 0.8746 ha. of forest land in favour of Indian Oil Corporation Limited (IOCL) for Construction of Approach road for Proposed Indian Oil Corporation Limited Retail Outlet on Bharatpur Jaipur Road (NH-11) Between km Stone 85-86 (Chainage: 85+972.00 – 86+014.55) khs IN Khasra No 2994 at Village- Aroda, Tehsil Nadbai, District- Bharatpur, Rajasthan. **(FP/RJ/ROAD/36241/2018)**

संदर्भः— आपका पत्रांक एफ 14(300/12)2018/एफसीए/प्रमुवस/2533 दिनांक 03.09.2021

300/12

महोदय,

603
17/11/21

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित प्रस्ताव इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति के तहत धारा–2 में खसरा न0 2994 किमी स्टोन न. 85–86 ग्राम अरोदा, तहसील नादबाई, जिला भरतपुर में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के प्रवेश एवं निकास हेतु **0.8746** है0 वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति चाही गई थी। इस क्रम में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 03.07.2020 द्वारा प्रसारित सैद्धान्तिक स्वीकृति के अनुसरण में अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एव नोडल अधिकारी वन संरक्षण अधिनियम, राजस्थान पत्रांक 14(300/12)2018/एफसीए/प्रमुवस/2533 दिनांक 03.09.2021 द्वारा अनुपालना प्रेषित कर विधिवत स्वीकृति जारी किये जाने की अनुशंषा की गयी है।

S
FCA
3
17/11/21

प्रेषित अनुपालना पर विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत धारा–2 में सामान्य स्वीकृति बाबत् जारी दिशा निर्देशों की पालना में Diversion of 0.8746 ha. of forest land in favour of Indian Oil Corporation Limited (IOCL) for Construction of Approach road for Proposed Indian Oil Corporation Limited Retail Outlet on Bharatpur Jaipur Road (NH-11) Between km Stone 85-86 (Chainage: 85+972.00 – 86+014.55) khs IN Khasra No 2994 at Village-Aroda, Tehsil Nadbai, District- Bharatpur, Rajasthan की विधिवत स्वीकृति बिना किसी वृक्ष के पातन सहित निम्न शर्तों के अध्यधीन प्रदान की जाती हैः—

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।
3. याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओ को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेगें।
4. प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले को वृक्षो वन विभाग की बिना पूर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड परिपक्व होने पर, वन विभाग के होंगे।
5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस--पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।
6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।
7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस--पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।

Principal/ Approval diversion/secy.forest/floder ajay goyar

Scanned with CamScanner

8. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर पेट्रोल पम्प में प्रवेश एवं निकास मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर ट्री गार्ड लगाकर तथा दोनो मार्गो के बीच के स्थान (separator island) पर कम से कम 2 फीट ऊंची दीवार बनाकर सीमांकन कर इसका उपयोग वृक्ष लगाने एवं उन्हें संरक्षित करने में किया जाएगा। यह वृक्षारोपण क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के अतिरिक्त होगा।
9. प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा–निर्देश की पालना करेगा।
10. राज्य सरकार द्वारा दी गई उक्त अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।
11. सैद्धांतिक स्वीकृति दिनांक 03.07.2020 में वर्णित शर्तो की सभी सम्बन्धित द्वारा पूर्ण पालना सुनिश्चित की जायेगी।
12. नोडल अधिकारी (वन संरक्षण) इस प्रस्ताव की स्वीकृति के अगले माह की 5 तारीख को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रेषित करे।
13. प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त की अनुपालन नहीं होने अथवा असंन्तोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

भवदीय,

(बी. प्रवीण)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. अपर वन महानिदेशक–वन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोर बाग रोड, नई दिल्ली–110003
2. अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर कक्ष संख्या सी–405 एवं सी–406, अरण्य भवन झालाना, जयपुर।
3. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी एफ.सी.ए, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस प्रकार के प्रकरणों में जारी की गई स्वीकृतियों की मासिक सूचना संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रत्येक माह की 5 तारीख तक प्रेषित की जावे।
4. मुख्य वन संरक्षक, भरतपुर।
5. उप वन संरक्षक, नागौर।
6. वरिष्ठ प्रबन्धक (रिटेल सेल्स) इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर मण्डल कार्यालय , प्रथम तल एलआईसी इन्वेस्टमेन्ट बिल्डिंग, फेज–II, अम्बेडकर सर्किल के पास, भवानी सिंह रोड, जयपुर 302005।
7. रक्षित।

//
(लखन सिंह)
विशेषाधिकारी

Principal Approval diversion ... ajay goyar

Scanned with CamScanner